



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

29 NOV 2023

क्रमांक 11.476/25/2022/चयन

इन्दौर, दिनांक

पदनाम – दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ

चयन – सूची (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद – दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ के कुल – 14 पद (अनारक्षित-04, अ.जा. –02, अ.ज.जा.-03, अ.पि.वर्ग-04, ई.डब्ल्यू.एस.-01) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद – अनारक्षित-01, अ.जा. –01, अ.ज.जा.-01 अ.पि.वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद – अस्थिबाधित – 01 पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 30.10.2023 से 31.10.2023 तक आयोजित किए गए।

2/ म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक /1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2022/1655 दिनांक 18.11.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 01/09/2022 दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 24.11.2022 के बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित कंडिका के अनुसार प्रावधिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात् घोषित किया जाएगा।

3/ अतएव साक्षात्कार में प्राप्तियों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

1 दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	4	2	3	2	1	12
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	1	1	1	1	0	

कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद

1

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	9319	ANAGHA VAIDYA	F	UNRF	UNR
2	9202	JYOTIRMAY CHAKRAWARTY	M	प्रावधिक UNR	UNR
3	9059	SANDEEP MISHRA	M	EWS	EWS
4	9332	BHARAT CHOUDHARY	M	प्रावधिक OBC	OBC
5	9272	SUNNY	M	UNR	OBC
6	9155	SHUBHANJALI BANSOD	F	SCF	SC
7	9050	PRIYANKA NAGAR	F	OBCF	OBC
8	9201	SAKSHI CHOKHANDRE	F	प्रावधिक SC	SC
9	9080	ARVIND KUMAR UIKEY	M	ST	ST
10	9212	MONIKA KANOJ	F	STF	ST
11	9209	PRASHANT DUBEY	M	प्रावधिक UNRHO	अस्थिबाधित UNR
12	9305	SMITA PARATE	F	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	9058	JAYA NATHANI	F	EWS
2	9105	AMIT SINGH	M	प्रावधिक OBC
3	9019	POORNIMA PATEL	F	OBC
4	9165	MOHD HASAN KHAN	M	OBC
5	9014	MANSI DHINGRA	F	UNR

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
6	9159	YASHODEEP CHAUHAN	M	SC
7	9220	VAISHALI SELKARI	F	प्रावधिक OBC
8	9336	RAVIKANT SHAH	M	ST
9	9112	SONIYA HATILA	F	ST
10	9154	ZENAB KHAN	F	अस्थिबाधित UNR
11	9284	MAYURI SINGH	F	SC
12	9217	INDRAPAL SINGH KANWAR	M	ST

टीप :-

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किए जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं डब्ल्यू.पी. 27744/2022 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट-एक की कंडिका चार में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।




 (राखी सहाय)
 उप सचिव
 म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर